



राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.14(13)(37)बी.आर.ए.पी/श्रम/विधि/2020/22336

दिनांक 22-10-2020

परिपत्र

बिजनेस रिफोर्म एक्शन प्लान 2020 (BRAP-20) के तहत Ease of Doing Business (EoDB) के निर्धारित मानदण्डों की पालना को दृष्टिगत रखते हुए ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नियम-29 में ठेकेदारों को जारी लाईसेन्स के नवीनीकरण के कार्य में सरलता के लिए अब श्रम विभाग की विभागीय वेबसाइट पर Auto Renewal व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत नवीनीकरण हेतु आवेदन बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त किया जायेगा। वेब एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर स्वतः ही लाईसेन्स का नवीनीकरण हो जायेगा तथा संबंधित व्यक्ति/ठेकेदार नवीनीकृत लाईसेन्स की प्रति ले सकेगा।

(पूजा भट्ट)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान जयपुर।